>

Title: Need to provide educational counselling and legal protection to the children in the country.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): सभापति महोदय, मैं सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि बच्चों के लिए कौंसलिंग कितनी आवश्यक हो गई है। हमारा देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस परिवर्तन में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन कुछ समस्याएं भी पैदा हुई हैं। इन समस्याओं में बच्चों का बदलता व्यवहार और मानसिक समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि अखबारों में बच्चों के अपराधों की खबरें न छपती हों। पाठशालाएं हों या घर या खेल के मैदान, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों का अचानक आत्मकेंद्रित होना या आक्रामक होना हर घर की कहानी बन गया है। चार-पांच साल के बच्चे से लेकर 17, 18 साल के किशोर इससे पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण है हमारी तेजी से बदली जीवन शैली, न्युक्लियर फैमिली का बढ़ता केज़, सिनेमा में दिखाए जाने वाले अपराध, रंगीन सपने और गरीबी-अमीरी की बढ़ती खाई। आज जिस तरह बच्चों के द्वारा अपराध, आत्महत्या की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसे देखकर यह प्रतीत होता है कि इसे समय रहते ही रोकना होगा।

यह समस्या पाश्चात्य देशों में भी है, किंतु उन्होंने बच्चों की कौंसलिंग के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, जिसकी हमारे यहां अभी शुरूआत भी नहीं हुई है। बच्चों की भावनात्मक भलाई, विकास और उसकी शिक्षा के लिए कौंसलिंग अत्यावश्यक बन गई है। इसके अलावा हमारे देश में बाल शोÂाण भी एक बड़ी समस्या है, यह शोÂाण अक्सर स्कूलों, अस्पतालों, जो बच्चे घर के बाहर काम करते हैं, आसानी से इस शोÂाण का शिकार हो रहे हैं। अध्ययन से पता चला है कि घरों में काम करने वाली ज्यादातर बच्चियां अपने मालिक के शोÂाण का शिकार बनती हैं। इसी तरह होटलों, ढाबों, मोटर गैरेज, चाय की दुकानों आदि जगह काम करने करने वाले बच्चों के साथ दुÂकृत्यों का होना आम बात है। इस कारण बच्चों में अपराधी भावना, क्रोध, तनाव, चिंता और विकलांगता जैसी समस्या घर कर जाती है। महानगरों में गरीब गर से बाग कर आए बच्चों की समस्या ने विकराल रूप धारण किया है। ये बच्चे अक्सर गलत हाथों में पड़ जाते हैं और ड्रग्ज़ की तस्करी, चोरी और छोटे-मोटे अपराध करते हैं, जो सामाजिक समस्या के अलावा अपने वैयक्तिक जीवन को भी नÂट कर देते हैं।

अपनी कच्ची उम्र में हुए शोÂाण व अपराध के कारण ये बच्चे परिवार तथा समाज से नफरत करते हैं। हमें इस समस्या की तरफ देखने का नजरिया बदलना होगा। इन पीड़ित बच्चों की कौंसलिंग करके उन्हें दोबारा सामान्य जीवन बिताने के अवसर प्रदान करने होंगे।

मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की कौंसलिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर पीड़ित बच्चों को शिक्षा और कानून का संरक्षण देना चाहिए।